



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax : + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-170 / 2020
दिनांक : 26.08.2020

सूचना

विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से छात्रावास में वापस आने के लिए प्राप्त हो रहे हैं आवेदन/ई-मेल को ध्यान में रखते हुए सूचित किया जाता है कि वर्धा शहर में कोविड-19 का प्रभाव बढ़ रहा है। वर्धा जिला प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय के छात्रावास अधिग्रहित किये गये हैं, जिसमें विलगीकृत के लिये मरीजों को रखा जा रहा है तथा कोविड-19 के मरीजों को इलाज के उपरांत रखा जाना प्रस्तावित है। इस दौरान रेल यातायात भी शुरू नहीं हुआ है।

इस परिस्थिति में विद्यार्थियों को उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से सूचित किया जाता है कि वे अपने गृहनगर में ही रहें। नेट की परीक्षा के लिए केंद्र बदलकर अपने गृहनगर से नज़दीक का केंद्र देने के लिए संबंधित एजेंसी से अनुरोध करें।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव) 26/08/2020

प्रतिलिपि :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय
3. कुलानुशासक कार्यालय
4. समस्त छात्रावास अधीक्षक
5. सहायक कुलसचिव, सामान्य प्रशासन
6. विश्वविद्यालय वेबसाइट
7. संबंधित पत्रावली